पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की विविध अपील सं. 951

==========

विशाल आनंद, स्वर्गीय नारायण प्रसाद के पुत्र, मोहल्ला-गायत्री नगर, रोड नंबर 2, डाक धर और थाना.-जमालपुर, जिला-मुंगेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

शोभा श्रीवास्तव, स्वर्गीय अरुण कुमार श्रीवास्तव की बेटी, मोहल्ला-शास्त्री नगर, लोहा फैक्ट्री (अल्मीराहा फैक्ट्री), कोणार्क सिनेमा रोड, डाक धर और थाना-कासिम बाजार, जिला-मुंगेर।

.....प्रत्यर्थी

==========

विचारार्थ मुद्दे: क्या परिवार न्यायालय क्रूरता और त्याग के आधार पर अपीलार्थी द्वारा दायर विवाह विच्छेद के वैवाहिक वाद को खारिज करने में उचित था

विवाह हिंदू धर्म और रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न किया गया था-एक बेटा पैदा हुआ था-अनादर का आरोप-वैवाहिक वैमनस्य शुरू हुआ-प्रतिवादी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया-क्या प्रतिवादी ने क्रूरता और पलायन का कार्य किया है-क्रूरता के बराबर व्यवहार संबंधी दुराचार का कोई भी विशिष्ट आरोप नहीं है-हिंदू विवाह अधिनियम-धारा 10 (1) (बी)-धारा 13 (1) (आई-ए)-क्रूरता-परित्याग

अभिनिर्धारित: क्रूरता के बराबर व्यवहार संबंधी दुराचार का कोई भी विशिष्ट आरोप नहीं-अपीलार्थी ने प्रतिवादी और बच्चे को बनाए रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया-वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठाया-कुछ भी संकेत नहीं देता है कि

अपीलार्थी ने मुलाकात के अधिकारों या बच्चे की देखभाल के लिए कोई कानूनी कदम उठाया-अपीलार्थी ने परित्याग के तथ्य को भी साबित नहीं किया है-पारिवारिक अदालत ने तलाक की मांग करने वाले अपीलार्थी के वैवाहिक मामले को सही ढंग से खारिज कर दिया है क्योंकि क्रूरता के बराबर कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है और परित्याग के तथ्य को साबित नहीं किया गया है।

क्रूरता-हिंदू विवाह अधिनियम-धारा 10 (1) (बी)-धारा 13 (1) (आई-ए)

अभिनिर्धारित: क्रूरता को ऐसे चरित्र के जानबूझकर और अनुचित आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य को बुरी तरह या मानसिक रूप से खतरे में डालता है या इस तरह के खतरे की उचित आशंका को जन्म देता है [पैरा 9,10]

परित्याग-हिंदू विवाह अधिनियम

अभिनिर्धारित: त्याग की आवश्यक शर्त साबित नहीं हुई, प्रतिवादी की ओर से कोई दुश्मनी नहीं, [पैरा 14]

पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की विविध अपील सं. 951

==========

विशाल आनंद, स्वर्गीय नारायण प्रसाद के पुत्र, मोहल्ला-गायत्री नगर, रोड नंबर 2, डाक धर और थाना.-जमालपुर, जिला-मुंगेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

शोभा श्रीवास्तव, स्वर्गीय अरुण कुमार श्रीवास्तव की बेटी, मोहल्ला-शास्त्री नगर, लोहा फैक्ट्री (अल्मीराहा फैक्ट्री), कोणार्क सिनेमा रोड, डाक धर और थाना-कासिम बाजार, जिला-मुंगेर।

.....प्रत्यर्थी

==========

उपस्थिति:

अपीलाथी/ओं के लिए: श्री अशोक कुमार झा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: कोई नहीं

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे)

तिथि: 19-02-2024

वर्तमान अपील को 2015 के वैवाहिक मामला संख्या 66 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुंगेर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 13.09.2018 और डिक्री दिनांक 27.09.2018 के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके द्वारा और जिससे अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के साथ विवाह भंग करने के लिए दायर वैवाहिक मामले को खारिज कर दिया गया है ।

2. संक्षेप में कहा गया है कि अपीलार्थी के मामले का तथ्य यह है कि दोनों पक्ष शादी की तारीख से पहले एक-दूसरे से अच्छी तरह से परिचित थे।अपीलार्थी द्वारा यह दावा किया जाता है कि 07.07.2018 को, प्रतिवादी के साथ अशोक धाम, लखीसराय में हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न किया गया था। खुशहाल वैवाहिक जीवन के दौरान, उनकी शादी से एक पुत्र का जन्म हुआ और कुछ समय बाद वैवाहिक वैमनस्य शुरू हो गया।अपीलार्थी ने अपने वैवाहिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन प्रतिवादी ने अपीलार्थी और उसकी माँ के प्रति अनादर व्यक्त किया था। 17.04.2013 को, प्रत्यर्थी बीमार पड़ गया और बीमारी के दौरान, अपीलार्थी ने अपनी माँ से प्रत्यर्थी को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए कहा।लेकिन, 21.04.2013 को उसने अपीलार्थी की माँ के साथ अशिष्ट व्यवहार किया और अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और वह यह कहकर वैवाहिक घर से निकल गई कि वह कभी वापस नहीं आएगी और वह अपना सारा सामान और पुत्र को ले गई।अपीलार्थी द्वारा आगे यह दावा किया जाता है कि उसने विद्वान सी. जे. एम., पटना के न्यायालय में 22.04.2013 के बारे में जानकारी दी कि उपरोक्त घटना दयानंद परिसर, फ्लैट संख्या 303, गोसाई टोला, नेहरू नगर, थाना पाटलिपुत्र, जिला-पटना में हुई है।तब से प्रतिवादी अपनी माँ के साथ मुंगेर में रह रही है।प्रत्यर्थी अपीलार्थी और उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक मामला भी लाया, लेकिन वह उक्त आपराधिक शिकायत में सफल नहीं हो सकी और उसने

उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया।अपीलार्थी द्वारा यह दावा किया जाता है कि उसने अपने पुत्र की अभिरक्षा प्राप्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रतिवादी ने इसका जोरदार विरोध किया।अंत में, याचिका में यह कहा गया है कि 06.03.2015, अपीलार्थी ने सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए प्रत्यर्थी से संपर्क किया और उसने वादा किया कि वह प्रत्यर्थी और उसके बच्चे का पालन-पोषण करेगा।अपीलार्थी द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, प्रत्यर्थी की ओर से कोई पारस्परिकता नहीं पाई गई।इसलिए मामला दर्ज किया गया है।

3. नोटिस के अनुसार, प्रतिवादी पेश हुआ और अदालत ने दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए प्रयास किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

4. प्रतिवादी ने लिखित बयान दायर किया था।उन्होंने शादी के साथ-साथ पुत्र जन्म के तथ्य को स्वीकार किया और अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया।वह अपने पुत्र साथ अपीलार्थी के साथ रहने के लिए तैयार है और उसने विकल्प दिया है कि अगर तलाक की डिक्री पारित हो जाती है, तो रु। अपीलार्थी द्वारा उसे दस लाख रुपये दिए जाएंगे।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उसने सामग्री प्रदर्शन प्रस्तुत किए हैं और उक्त सामग्री के प्रकाश में विवादित निर्णय के साथ-साथ डिक्री का आदेश अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के प्रकाश में उचित और कानूनी नहीं है क्योंकि प्रतिवादी ने क्रूरता का कार्य किया है और साथ ही उसने बिना किसी कारण के प्रतिवादी को छोड़ दिया है।इसलिए, परिवार न्यायालय, मुंगेर के विद्वान प्रधान न्यायाधीश का निर्णय उचित और कानूनी नहीं है।

6. अपीलार्थी की ओर से दो गवाहों से पूछताछ की गई। अभि.ग. 1 स्वयं अपीलार्थी है और अभि.ग. 2 अपीलार्थी की माँ है।अपीलार्थी ने कुछ दस्तावेजों पर भी भरोसा किया है

जिन्हें प्रदर्श 1 से 5 के रूप में चिह्नित किया गया है।प्रत्यर्थी ने अपनी ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया है।इसके बाद, अदालत ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि अपीलार्थी क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है।उक्त निष्कर्ष से व्यथित होने के कारण अपीलार्थी ने वर्तमान विविध अपील को प्राथमिकता दी है।

7. मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, सवाल उठता हैः

क्या अपीलार्थी ने दिए गए साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आलोक में क्रूरता के साथ-साथ त्याग के आधार पर मामला साबित किया है या नहीं?

8. अभि.ग. 1 जो स्वयं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक है, अपने साक्ष्य में, उसने याचिका के तथ्य पर जोर दिया है, लेकिन जांच के दौरान, उसने स्वीकार किया है कि वह अपनी पत्नी के साथ-साथ अपने बच्चे को भी रखने के लिए तैयार नहीं है और अभि.ग. 2 ने भी अभि.ग. 1 के तथ्य का समर्थन किया है और उसने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कहा है कि वह अपीलार्थी की पत्नी को रखने के लिए तैयार नहीं है।हालांकि, दोनों अभि.ग. ने कहा कि उनके पास प्रतिवादी और बच्चे को नहीं रखने का कारण है। दोनों द्वारा बताये गए कारण काफी अस्पष्ट हैं क्योंकि उन्होंने एक भी परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया है जो क्रूरता के बराबर है।

9. क्रूरता के आधार के आलोक में, **डॉ. एन. जी. दास्ताने बनाम श्रीमती एस. दास्ताने** ने आकाशवाणी **1975 एस.सी. 1534** में रिपोर्ट किया के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या प्राप्त करना आवश्यक है। "क्रूरता" शब्द की व्याख्या की गई है कि जो कार्य क्रूरता का गठन करता है, जो विवाह के विघटन का आधार है, उसे ऐसे चरित्र के जानबूझकर और अन्यायपूर्ण आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य को बुरी तरह या मानसिक रूप से खतरे में डालता है या इस तरह के खतरे

की उचित आशंका को जन्म देता है।अधिनियम की धारा 10 (1) (बी) के तहत हिंदू विवाह अधिनियम के वैधानिक प्रावधान के तहत क्रूरता क्या है, यह इस कानून की अवधि पर निर्भर करता है, जो प्रदान करता हैः

> *"10. (1) विवाह का कोई भी पक्ष, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न किया गया हो, इस आधार पर न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री का अनुरोध करते हुए जिला न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत कर सकता है कि दूसरा पक्ष-*
>
> *(बी) याचिकाकर्ता के साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार किया है जिससे याचिकाकर्ता के मन में एक उचित आशंका पैदा हो कि याचिकाकर्ता के लिए दूसरे पक्ष के साथ रहना अनष्टकर या हानिकारक होगा;*

10. वी. भगत बनाम डी. भगत के मामले में रिपोर्ट किया गया **1994 में ए.आई.आर. 710** में क्रूरता की अवधारणा की जांच की गई है **शोभा रानी बनाम मधुखर रेड्डी** के मामले को संदर्भित करके **(1988) 1 एस.सी.सी. 105** में सूचित किया गया।"क्रूरता" शब्द को हिंदू विवाह अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, इसका उपयोग 13(1) अधिनियम की धारा वैवाहिक कर्तव्यों या दायित्वों के संबंध में या उनके संबंध में मानव आचरण या व्यवहार के संदर्भ में किया गया है। यह एक के आचरण का एक तरीका है जो दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। यदि यह शरीरिक है, तो यह तथ्य और परिमाण का सवाल है।यदि यह मानसिक है, तो क्रूर व्यवहार की प्रकृति और फिर जीवनसाथी के मन पर इस तरह के व्यवहार के प्रभाव के बारे में जांच शुरू होनी चाहिए।क्या यह उचित आशंका पैदा करता है कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक या अनिष्टकर होगा, अंततः, आचरण की प्रकृति और शिकायत करने वाले जीवनसाथी पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

11. "क्रूरता" शब्द की व्याख्या पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का सार यह है कि इसका अर्थ और व्याख्या इस बात को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए कि पक्ष किस प्रकार के जीवन के आदी हैं; या उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों और उनकी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें वे महत्व देते हैं।प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।

12. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने याचिका में स्वयं दावा किया है कि उसने अपने पुत्र की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए प्रतिवादी से संपर्क किया, लेकिन प्रत्यर्थी की ओर से पारस्परिकता दिखाई नहीं गई। लेकिन तलाक की कार्यवाही के दौरान अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंगित करता है कि अपीलार्थी ने मुलाकात के अधिकार या बच्चे की देखभाल के लिए कोई कानूनी कदम उठाया है।यहां तक कि उन्होंने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कानूनी कदम नहीं उठाया है, लेकिन तलाक की याचिका में उन्होंने कहा है कि उन्होंने वैवाहिक विवाद को सुलझा लेने की पूरी कोशिश की है।अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के दौरान अपीलार्थी ने स्वयं कहा है कि वह न तो अपनी पत्नी और न ही अपने पुत्र को रखने के लिए तैयार है।तलाक की याचिका में उनका स्वघोषित बयान तलाक की कार्यवाही के दौरान पेश किए गए सबूतों के साथ काफी असंगत है।इस तरह, अपीलार्थी का बयान काफी विरोधाभासी है और यहां तक कि उसने भी एकाकी परिस्थिति नहीं बताई है जो क्रूरता के बराबर है। अभि.ग. 2 जो अपीलार्थी की माँ है, ने भी साक्ष्य प्रस्तुत करते समय अपीलार्थी के संस्करण का पूर्णतः समर्थन किया है।प्रत्यर्थी के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा लगाया गया आरोप काफी अस्पष्ट है।क्रूरता के समान व्यवहार संबंधी दुराचार का एक भी विशिष्ट आरोप याचिका के बजाय क्रूरता की तारीख, स्थान और प्रकृति के संदर्भ में अभिवचन या साक्ष्य में नहीं लगाया गया है, अपीलार्थी ने स्वयं कहा है कि प्रत्यर्थी उस समय की आवश्यकता में वैवाहिक गृह में शामिल हुआ जब वह बीमार हो

गई। अपीलकर्ता का स्वयं सिद्ध और स्पष्ट कथन इस कथन इस अर्थ में काफी विरोधाभासी है कि किसी की सांस एक ही समय में ठंडी और गर्म नहीं हो सकती ।

13. वर्तमान मामले में, हम क्रूरता के आधार पर वर्तमान मामले के तथ्य का आकलन कर रहे हैं।हम कोई एक भी परिस्थिति नहीं पाते हैं, जहाँ यह पाया जाता है कि अपीलार्थी ने उस मामले को साबित कर दिया है जहाँ ऊपर उल्लिखित वैधानिक प्रावधान के आलोक में क्रूरता का गठन किया गया है।दैनिक जीवन में कई घटनाएँ हुई हैं लेकिन सभी को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, जो कि उचित रूप से वैवाहिक जीवन की विफलता है, जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है।

14. जब हम परित्याग की भूमि का उल्लेख कर रहे हैं, तो हम पाते हैं कि दो प्रकार के परित्याग होते हैंः

(i) वास्तविक परित्याग और (ii) फलक्षित परित्याग।

परित्याग के मामले में, इसका निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय के माध्यम से किया जाता है और इसकी व्याख्या की गई है कि (जिसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दायर तलाक की कार्यवाही में "त्याग" कहा जा सकता है)।"परित्याग" शब्द माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक जांच के तहत **बिपिनचंद्र जयसिंह बाई शाह बनाम प्रभावती (ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 176)** जिस पर **लाचमान उत्तमचंद कृपलानी बनाम मीना उर्फ मोटा (ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 40)** के मामले में विचार किया गया था **बिपिनचंद्र जयसिंह बाई शाह** (ऊपर) में यह कहा गया है यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई जीवनसाथी दूसरे को अस्थायी जुनून की स्थिति में छोड़ देता है, उदाहरण के लिए, स्थायी रूप से सहवास बंद करने का इरादा किए बिना क्रोध या घृणा, तो यह त्याग के बराबर नहीं होगा।माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले के निर्णयों में की गई टिप्पणियों को जोड़ते हुए अपना विचार इस प्रकार व्यक्त कियाः

"इस न्यायालय के उपर कहे गए दृष्टिकोण इस प्रकार कहे जा सकते हैःएक याचिकाकर्ता पर भारी बोझ पड़ता है जो चार आवश्यक शर्तों को साबित करने के लिए त्याग के आधार पर तलाक चाहता है, अर्थात्, (1) अलगाव का तथ्य; (2) दुश्मनी; (3) उसकी सहमति का अभाव; और (4) छोड़ने वाले पति या पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने के लिए उचित कारण देने वाले उसके आचरण का अभाव।"

15. विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से, अपीलार्थी त्याग के तथ्य को भी साबित नहीं कर पाया है।उन्होंने केवल एक बयान दिया है कि 21.04.2013 को प्रत्यर्थी ने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और अपीलार्थी ने 01.04.2015 को मामला दायर किया जो मुश्किल से दो साल तक चलता है क्योंकि तलाक की याचिका भी वैधानिक अवधि के मानदंडों को पूरा नहीं करती है।यहां तक कि अपीलार्थी ने भी स्वयं कहा है कि वह अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार नहीं है।फिर वह अपनी गलती से लाभ कैसे ले सकता है जो खुद अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार नहीं है।

16. अपीलार्थी के साक्ष्य के अवलोकन से, उन्होंने 2018 का स्वयं कहा है कि वह अपने खराब आचरण के आधार पर अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार नहीं है और कहा है कि आरोप काफी अस्पष्ट है और समय और स्थान के संबंध में विशिष्ट नहीं है और कोई एक भी परिस्थिति नहीं है जो क्रूरता का गठन करती है।अभिलेख के अवलोकन से, यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि प्रतिवादी की ओर से परित्याग की मंशा थी। इस तरह, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आलोक में पलायन का आधार साबित नहीं किया जा सकता है।

17. पूर्वगामी पैराग्राफ में की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए सभी मामलों में, हम पाते हैं कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है जो आक्षेपित निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी देती है।परिवार न्यायालय ने तलाक की मांग करने वाले अपीलार्थी के

वैवाहिक मामले को सही ढंग से खारिज कर दिया है।आक्षेपित निर्णय और डिक्री के आदेश की पुष्टि करते हुए वर्तमान अपील को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

मनीष /
अमित/शहजाद

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।